मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—::: आदेश :::—

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

क्रमांक एफ 12—47/2013/सत्रह/मेडि—3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में औषधि, सामग्री एवं उपकरण के उपार्जन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रदेश की शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में औषधियों, सर्जिकल सूचर सामग्री, मशीन एवं उपकरण की उपार्जन प्रक्रिया हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1 निगम के संचालक मण्डल में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य आयुक्त, आयुक्त आयुष, आयुक्त गैस राहत तथा कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के दो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ शासन द्वारा स्वतंत्र संचालक नामित होंगे।

2 औषधि, सर्जिकल सूचर सामग्री, मशीन एवं उपकरण के उपार्जन हेतु आवश्यकता के आंकलन स्पेसिफिकेशन, गुणवत्ता एवं निविदा प्रक्रिया का निर्धारण तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किया जावेगा, जिसमें विषय विशेषज्ञों के अतिरिक्त क्रयकर्ता सभी विभागों के प्रतिनिधि नामांकित किये जावेंगे।

3 निगम दर अनुबंध के साथ जिला स्तर तक श्रेष्ठतम पद्धतियों का अनुसरण करते हुए वेअर हाऊस प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, सप्लाई चयन प्रबधन आदि सेवाऐं सुनिश्चित करेगा ।

4 निगम खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा औषधि, उपकरण, सामग्री आदि के लिये दरों का निर्धारण कर, दर अनुबंध निष्पादित करेगा। इन अनुबंधों में निर्धारित शर्तों के अधीन क्रयादेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा गैस राहत एवं पुर्नवास विभागों के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये जावेंगे। सामग्री प्रदाय के पश्चात् समस्त आवश्यक सत्यापित अभिलेख प्राप्त होने पर भुगतान निगम द्वारा प्रदायकर्ता को केन्द्रीयकृत व्यवस्था से किया जावेगा।

5 निगम को आरंभिक गतिविधियॉं प्राप्त करने के लिये राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 10.00 करोड़ का पूंजीवेष्ठन किया जावेगा।

6 निगम के संचालन की वार्षिक लागत कुल टर्न ओवर की सामान्यतः 2.5 प्रतिशत होगी, जिसकी पूर्ति संबंधित विभागों से सर्विस चार्ज प्राप्त कर की जावेगी। सर्विस चार्ज उपार्जित सामग्री के मूल्य का 3 प्रतिशत होगा, इस सीमा में परिवर्तन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर निगम को शासन द्वारा अनुदान भी दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/9/13

(डॉ0 गनी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर...2/—